

154

कार्यालय कार्यपालन दण्डाधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी कुठुसुठ

### मूल निवासी का प्रमाण-पत्र

प्रकरण क्रमांक 1- 20 वी 4241-26-22

दिनांक :- 9-11-22

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी जगदीश प्रसाद मराठी  
 (जी.डी.) घातमज / अत्मज / पत्नी श्री फुलचंद मराठी (जी.डी.)  
साठ सरीली तहसील कुठुसुठ व जिला अजमेर म० प्र० का / को

नियामो है क्योंकि वह

1- म० प्र० में पैदा हुआ है / हुई अथवा -

2- वह पालक वैध अभिभावक के म० प्र० में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है अथवा (अभिभावक)

3- उसके पालकों में से स्थाई राज्य शासन का सेवारत या सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं (अथवा)

4- केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो म० प्र० में सेवारत हैं अथवा -

5- वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पाँच वर्ष से कार्य / चल व अचल सम्पत्ति घन्वा व्यवसाय करते है।

#### इसके अतिरिक्त-

1- उसे अपनी शिक्षा म० प्र० में स्थित शिक्षण संस्था में से कम से कम तीन वर्ष शिक्षा प्राप्त की है अथवा -

2- उसने म० प्र० में उक्त किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम परीक्षा पास की है।

अ- उच्चतर माध्यमिक परीक्षा।

ब- आठवीं कक्षा की परीक्षा

स- पाँचवीं / प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा।

टीप : जो अंश लागू न हो उन्हें काट दिया जावे।



*[Signature]*  
 तहसीलदार,  
 प्राधिकृत अधिकारी  
 अजमेर एवं सील।  
 19/11/22

original